

GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF RAILWAYS RAILWAY RECRUITMENT BOARD CHANDIGARH



सीईएन-01/2019 (एनटीपीसी) / CEN-01/2019

(विभिन्न एनटीपीसी स्नातक और स्नातक-पूर्व पदों की भर्ती के लिए) (For Recruitment of Various NTPC Graduate and Undergraduate Posts)

स्चना NOTICE

सीबीटी (1 और 2), सीबीएटी (केवल स्टेशन मास्टर के लिए) और सीबीटीएसटी (कोटि सं. 4, 5, 10 और 11 के लिए) में उनके प्रदर्शन के आधार पर तथा दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के बाद, निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को, क्षैतिज आरोही क्रम में व्यवस्थित (योग्यता के क्रम में नहीं), निम्नलिखित श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अनंतिम रूप से पैनलबद्ध किया गया है: On the basis of their performance in CBT (1 & 2), CBAT (for Station Master only) and CBTST (For Category 4, 5, 10 & 11) and after document verification and medical examination, Candidates with the following roll numbers, arranged in horizontal ascending order (not in order of merit), have been provisionally empaneled for appointment in the following categories:

कोटि सं. 3 - गुड्स गार्ड CAT. NO.3 - GOODS GUARD

क्र.सं / S. No	रोल नं. / Roll No.	अभ्यर्थी का नाम / Candidate's Name
1.	171191121135985	SHIVAM SHARMA

कोटि सं. 9 - वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क

CAT. NO.9 – COMMERCIAL CUM TICKET CLERK

क्र.सं / S. No	रोल नं. / Roll No.	अभ्यर्थी का नाम / Candidate's Name
1.	171191171049322	NITU RANI

...... सूची की समाप्ति / END OF LIST.....

सीईएन संख्या 01/2019 (एनटीपीसी) के अनुसार पात्रता शर्तों और मूल प्रशंसापत्र के सत्यापन के बाद उत्तर रेलवे द्वारा नियुक्ति के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त के लिए अभ्यर्थियों को तदनुसार प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। Further action for appointment will be taken by the Northern Railway after verification of eligibility conditions and original testimonials as per CEN No.01/2019(NTPC). Candidates shall be informed accordingly by the office of the Principal Chief PersonnelOfficer, Northern Railway, Baroda House, New Delhi, for the above.

महत्वपूर्णः

IMPORTANT:

i) यह परिणाम अनंतिम है और किसी भी तरह से अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। आरआरबी किसी अनजानी त्रुटि / टाइपोग्राफिक गलती के मामले में परिणामों को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। This result is provisional and does not in any way give any right to the candidates for appointment in the Railways. This RRB reserves the right to cancel / modify the results in case of any inadvertent error / typographical mistake.

- ii) मेडिकल अनिफट/लेवल आउट/अनुपस्थिति/अस्वीकृत मामलों के कारण उत्पन्न होने वाली शेष रिक्तियों को दस्तावेज सत्यापन (अगले दौर) के लिए पात्र अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद भरा जाएगा। The remaining vacancies arising due to Medical Unfit/ Level Out/ Absenteeism/ Rejected cases will be filled up after calling eligible additional candidates for Documents Verification (Next Round).
- iii) चयन हेतु अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने वाले किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति सरसरी तौर पर रद्द कर दी जायेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। The appointment of any candidate found using unfair means to get selected shallbe cancelled summarily and action will be taken as per law.

अध्यक्ष रेल भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ Chairman RRB/Chandigarh

दिनांक: Dated: 23.02.2024